

राजस्थान सरकार
कार्यालय राज्य परिवहन प्राधिकार, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : एफ 9 (31) परि/आर.टी.ए./एस.टी.ए./मु./2008-09 / जयपुर, दिनांक 28/11/11
17438
प्रस्ताव संख्या : 1/2011

विषय:-नगर पालिका क्षेत्र में तिपहिया यात्री यानों हेतु निर्धारित किए गए मार्गों पर चार पहिया यात्री यानों को भी अनुज्ञापत्र जारी करने बाबत।

वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत एवं जन सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार कोटा एवं अलवर के प्रस्तावों पर विचार कर राज्य परिवहन प्राधिकरण, राजस्थान, राज्य के समस्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को निर्देश प्रदान करती है कि पूर्व में राज्य के कतिपय नगरों/कस्बों की नगरीय सीमा में निर्धारित किए गए तिपहिया यात्री यानों के मार्गों पर जन सुविधा एवं आवश्यकतानुसार तिपहिया यात्री यानों के साथ-साथ चार पहिया यात्री यानों को भी अनुज्ञापत्र स्वीकृत किए जा सकेंगे।

राज्य परिवहन प्राधिकार

क्रमांक : एफ 9 (131) परि/आर.टी.ए./एस.टी.ए./मु./2008-09 जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त, सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार राजस्थान।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
3. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
4. समस्त अति० प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर सचिव, 28/11/12
राज्य परिवहन प्राधिकार